



# इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, पर्यागराज

कार्यालय : 7वां एवं 8वां तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

## निविदा सूचना

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद में पर्यटन क्षेत्रों से निम्नलिखित कार्यों हेतु सीलबन्ध निविदाओं आमंत्रित की जाती है। निविदा पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट [www.adaallahabad.in](http://www.adaallahabad.in) से डाउनलोड किये जा सकते हैं। सीलबन्ध लिफाफे पर कार्य का नाम एवं सेवा में मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण तथा प्रेषक/ फर्म का नाम व पता अंकित करना अनिवार्य है। उक्त निविदा किसी भी कार्य दिवस में अपोहस्ताक्षरों के कार्यालय कक्ष में रखे बाक्स में दिनांक 10.12.2018 को 2.00 बजे तक डाली जा सकेगी। निधारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदाएं दिनांक 10.12.2018 को सांच 4.00 बजे प्राधिकरण सभागार, आठवां तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में उपस्थित ठेकेदारों या अधिकृत प्रतिनिधियों (यदि उपस्थित हों) के समक्ष खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	निविदा घनांक (₹० लाख में)	जमानत धनराशि (₹० लाख में)	कार्य समाप्ति की अवधि	निविदा मूल्य GST सहित (₹० में)	निधारित श्रेणी
1	शान्तिपुरम आवास योजना के विभिन्न सेक्टरों (A, B, C, D, E, F, F1, F2, G) में वाटर साइज लीकेज मरम्मत का कार्य	3.55	0.36	12 माह	236.00	प्रति

- नोट:-** 1. उक्त निविदा हेतु धरोहर राशि धनराशि अधिशासी अभियन्ता, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक एन०एस०सी०/ एफ०डी०आर०/ एन०एस०एस० के रूप में अथवा RGTS के माध्यम से प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। यदि किसी निविदा के साथ समुचित जमानत धनराशि जमा नहीं होगी तो ऐसी निविदाएं खोलते ही पुनः सील कर दी जायेंगी।
2. निविदा खोलने की तिथि के अगले कार्य-दिवस में सभी निविदादाताओं को जमानत धनराशि व निविदा मूल्य के मूल अभिलेख संबंधित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करना होगा, अन्यथा की स्थिति में ठेकेदारों के विरुद्ध विधमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
3. निविदा मूल्य RGTS के माध्यम से अथवा नकद प्राधिकरण कोष में देय होगा, जो वापस नहीं होगा।
4. किसी भी निविदा को स्वीकृत/ अस्वीकृत या विभाजन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा।
5. निविदा में दी गयी दरें तीन माह तक मान्य होंगी।
6. शेष समस्त कर्तव्यों लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार की जायेगी।
7. निविदा स्वीकृति उपरान्त असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि उनके द्वारा दिए गए उनके बैंक खातों में RGTS के माध्यम से वापस की जायेगी।
8. निविदा की दरों में कटिंग/ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
9. कार्यालय अवकाश की दश में निविदा अगले कार्य दिवस में डाली/खोली जायेगी।

मुख्य अभियन्ता  
इ०वि०प्रा०